0 प्र0 राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं. 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851–53(PBX)
वेबसाइट : www.upsidc.com
ई.मेल : md@upsidc.com

संदर्भ सं0 17-21 /यूपीसीडा/IA) Delegation of Power दिनांक 01/04/2021

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के आबंटियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं/कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु कतिपय अधिकार प्रतिनिधायनित करते हुए कार्यालय आदेश सं0 2377–81/एसआईडीसी आईए/ दिनांक 01.12.2016 एवं कार्यालय आदेश सं0 419–422/एसआईडीसी/ आईए दिनांक 03.01.2017 तथा औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग के कार्यो के प्रतिनिधायन सम्बन्धी पूर्व में निर्गत समस्त कार्यालय आदेशों को अवक्रमित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग के कार्यो का प्रतिनिधायन कार्यहित में निम्नवत् संशोधित किया जाता है जिससे कि सभी प्रकृति के भूखण्डों से सम्बन्धित आबंटियों के विभिन्न कार्यो सम्बन्धी अनुरोध पारदर्शिता के साथ शीघ्र निस्तारित किए जा सकेः–

अ. **क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को प्रदत्त अधिकार**

क्र0 सं0	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायन/अधिकार
1.	सभी प्रकृति के भूखण्ड जिनमें इकाई स्थापना हेतु नियमानुसार परियोजना क्रियान्वयन हेतु समय उपलब्ध/विस्तारित है, का नियमानुसार पट्टा–विलेख निष्पादन, कब्जा हस्तांतरण, हस्तान्तरण/आवंटन संबंधी कार्य आरक्षण धनराशि की देय तिथि से 60 दिनों तक तीव्र गामी क्षेत्रों में तथा 90 दिनों तक मन्थर गामी क्षेत्रों में क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की दशा में) ब्याज सहित भुगतान स्वीकार किया जाना, पट्टाविलेख को आबंटी की अभिरक्षा में/वित्तीय संस्था के पक्ष में एकल/संयुक्त/बहुपक्षीय रहन/पारी पासू प्रभार्य, आबंटित क्षेत्रफल में भूखण्ड के कब्जे तक ज्ञात हुई आबंटित क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत (अधिकतम 300 वर्गमी0) के विचलन का नियमानुसार नियमितीकरण, औद्योगिक परियोजना हेतु आवंटित/हस्तान्तरित भूखण्डों पर अनुमन्य उपयोगों के अन्तर्गत उत्पाद परिवर्तन/अतिरिक्त उत्पाद/विस्तार हेतु इकाई की स्थापना से सम्बन्धित।	पूर्ण अधिकार
2.	सभी प्रकृति के भूखण्डों के आवंटनों का समर्पण स्वीकार करना एवं नियमानुसार धनराशि वापस करना, जमा धनराशि में रू0 100/– तक की कमी होने पर आवंटी को डिफाल्टर वर्ग से मुक्त कर दण्ड ब्याज आदि भारित न किए जाने से संबन्धित।	पूर्ण अधिकार
3.	औद्योगिक परियोजनाओं हेतु आवंटित भूखण्डों का पूर्ण शुल्क एवं अन्य देयों के भुगतान पर औद्योगिक भूखण्ड जिनका आवंटन/कब्जा 5 वर्ष से पूर्व का है, में अन्तिम रूप से उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के प्रस्तर–7 (यथासंशोधित) प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्तीकरण नोटिस निर्गत किए जाने के साथ पूर्व अनुपयोगित अवधि सहित नोटिस की तिथि से अधिकतम 01 वर्ष का समय विस्तारण ।	पूर्ण अधिकार

Scanned with CamScanner

4.	उपयोगित (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 5प्रतिशत से अधिक तथा 30प्रतिशत तक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण नियमानुसार अधिकतम पूर्णलेवी एवं अन्य देयों के भुगतान सहित । एकल आवासीय भूखण्डों का हस्तांतरण	2 एकड़ क्षेत्रफल तक पूर्ण अधिकार
5	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवंटी के उपविभाजन मानचित्र में विनियमनों में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए औद्योगिक उपयोग हेतु सृजित उप–विभाजित भूखण्डों पर आवंटी से विपणन हेतु नियमानुसार समय–विस्तारण, अन्य शुल्कों तथा हस्तान्तरण लेवी सहित हस्तान्तरण।	01एकड़ क्षेत्रफल तक पूर्ण अधिकार
6.	यूपीएफसी/पिकप/अन्य नीलामी के माध्यम से विक्रय–पत्र/निबंधित विक्रय–विलेख पर क्रय किये गये अनुपयोगित भूखण्डों का क्रेता के पक्ष में नामान्तरण (अनुपयोगित भूखण्डों पर नियमानुसार पूर्ण लेवी/नामान्तरण शुल्क एवं अन्य देयों के भुगतान सहित)	पूर्ण अधिकार
7.	आबंटी की मृत्यु के उपरान्त औद्योगिक एवं एकल आवासीय भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में (अविवादित एवं दूसरे पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत न किया गया हो) नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, आबंटी का नाम परिवर्तन(बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के)	अविवादित एवं द्वितीय/तृतीय पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत न किए गए प्रकरणों में पूर्ण अधिकार।
8.	देयों का भुगतान न करने की दशा में औद्योगिक भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण।	पूर्ण अधिकार
9.	अनुपयोगित एवं देयों का भुगतान न करने पर एकल आवासीय भूखण्डों के आवंटनों का निरस्तीकरण।	पूर्ण अधिकार
10.	औद्योगिक भूखण्डों के निरस्त आबंटनों का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमो के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क एवं समस्त देयों के भुगतान पर)	500वर्गमीटर तक पूर्ण अधिकार
11.	एकल आवासीय भूखण्डों के निरस्त आवंटनों का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमो के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क एवं समस्त देयों के भुगतान पर)	पूर्ण अधिकार
12.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में प्रीमियम एवं ब्याज की देयताओं का रि–शिड्यूलमेंट	500वर्गमीटर क्षेत्रफल अधिकतम देयता रू0 50.00लाख तक पूर्ण अधिकार
13.	भवन मानचित्र की स्वीकृति (1) औद्योगिक भूखण्डों के 25 एकड़ क्षेत्रफल तक (2) एकल आवासीय भूखण्डों में (3) 250 वर्गमी0 क्षेत्रफल के व्यवसायिक भूखण्ड (4) बिन्दु सं0 1 से 3 के अतिरिक्त अन्य समस्त भवन मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण ए0टी0पी0 अनुभाग को अग्रसारित किया जाना।	पूर्ण अधिकार

Scanned with CamScanner

14	एकल आवासीय भूखण्डों में कब्जा हस्तान्तरण सम्भव न होने पर समतुल्य क्षेत्रफल अथवा क्षेत्रफल में अधिकतम 10प्रतिशत विचलन होने पर भूखण्ड परिवर्तन	पूर्ण अधिकार

ब. प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र को प्रतिनिधायित अधिकार

क्र0 सं0	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायित अधिकार
1.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में आबंटन/हस्तांतरण की तिथि से 60 दिनों पश्चात तीव्र गति के औद्योगिक क्षेत्रों में तथा 90 दिनों पश्चात मन्थर गति के क्षेत्रों में 12 माह तक विलम्ब से प्राप्त आरक्षण धनराशि/हस्तांतरण शुल्क को ब्याज सहित स्वीकार करना (औद्योगिक क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की दशा में)	पूर्ण अधिकार
2.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में समय विस्तारण जिनपर समय विस्तारण शुल्क की देयता रू0 50लाख से कम है।	पूर्ण अधिकार
3.	कियाशील (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 30प्रतिशत अथवा अधिक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) एवं उत्पादनरत (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 30प्रतिशत अथवा अधिक होने एवं 2 वर्ष निरन्तर उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण	15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
	उपयोगित (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 5प्रतिशत से अधिक तथा 30प्रतिशत तक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण नियमानुसार पूर्ण अधिकतम लेवी एवं अन्य देयों के भुगतान सहित ।	2 से 15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
	औद्योगिक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों का हस्तान्तरण।	02 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
4	अनुपयोगित एवं देयों के पूर्ण भुगतान किए गए औद्योगिक भूखण्डों का निरस्तीकरण ।	5 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
5	देयों का भुगतान न करने की दशा में औद्योगिक भूखण्डों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण ।	02 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
	सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जे तक ज्ञात आबंटित क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत तक (अधिकतम 500 वर्गमी0) वृद्धि का नियमितीकरण	पूर्ण अधिकार
6	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवंटी के उपविभाजन मानचित्र में विनियमनों में निर्धारित प्रकिया पूर्ण करते हुए औद्योगिक उपयोग हेतु सृजित उप–विभाजित भूखण्डों पर आवंटी से विपणन हेतु नियमानुसार समय–विस्तारण एवं अन्य शुल्कों तथा हस्तान्तरण लेवी सहित हस्तान्तरण।	01 से 05 एकड़ क्षेत्रफल तक पूर्ण अधिकार
7	यूपीएफसी/पिकप/अन्य नीलामी के माध्यम से विक्रय–पत्र/निबंधित विक्रय–विलेख पर क्रय किये गये उपयोगित भूखण्डों का क्रेता के पक्ष में नामान्तरण (उपयोगित भूखण्डों पर नियमानुसार पूर्ण लेवी/नामान्तरण शुल्क एवं अन्य देयों के भुगतान सहित)	पूर्ण अधिकार

Scanned with CamScanner

8	आबंटी की मृत्यु के उपरान्त सभी प्रकृति के भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के प्रकरणों में आबंटी का नाम परिवर्तन	विवादित एवं द्वितीय/तृतीय पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में 05 एकड़ क्षेत्रफल तक भूखण्डों में पूर्ण अधिकार।
9	सभी प्रकृति के भूखण्डों में आबंटी के पुर्नगठन/संविधान परिवर्तन को मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी।	05 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
10	अनुपयोगित एवं देयों के पूर्ण भुगतान किए गए सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण ।	02–15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
11	औद्योगिक भूखण्डों के निरस्त आबंटनों का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमो के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क एवं समस्त देयों के भुगतान पर)	500 वर्गमीटर से 05 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
12.	सभी प्रकृति के भूखण्डों का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमो के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क की देयता पर)	5 एकड़ तक औद्योगिक भूखण्डों में पूर्ण अधिकार
13.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में प्रीमियम एवं ब्याज की देयताओं का रि–शिड्यूलमेंट	500वर्गमीटर से 05एकड़ क्षेत्रफल तक में अधिकतम देयता रू0 50.00लाख तक के भूखण्डों में पूर्ण अधिकार ।
14.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में किरायेदारी	15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
15.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जा हस्तांतरण सम्भव न होने के कारण मूल भूखण्ड के समतुल्य अथवा 20प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड परिवर्तन	05 एकड़ क्षेत्रफल तक पूर्ण अधिकार

स. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रतिनिधायित अधिकार

क्र0 सं0	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायित अधिकार
1.	सभी प्रकृति के आवंटन/हस्तांतरण की तिथि से 12 माह के पश्चात् विलम्ब से प्राप्त आरक्षण धनराशि/हस्तांतरण शुल्क को ब्याज सहित स्वीकार करना (औद्योगिक क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की दशा में) सभी प्रकृति के आवंटन/हस्तांतरण की तिथि के उपरान्त विलम्ब से प्राप्त आरक्षण धनराशि/हस्तांतरण शुल्क को औद्योगिक क्षेत्र की प्रीमियम दर बढ़ने की दशा में आपरेटिंग मैनुअल 2011 के प्रस्तर 2.11 के अनुसार निस्तारण के सम्बन्ध में संस्तुति किए जाने संबंधित।	पूर्ण अधिकार
2.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में समय विस्तारण जिनपर समय विस्तारण शुल्क की देयता रू0 50.00 लाख से अधिक है।	पूर्ण अधिकार

Scanned with CamScanner

3.	क्रियाशील (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 30प्रतिशत अथवा अधिक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) एवं उत्पादनरत (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 30प्रतिशत अथवा अधिक होने एवं 2 वर्ष निरन्तर उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण	15 एकड से अधिक भूखण्डों के प्रकरणों को पालिसी सेल की संस्तुति पर पूर्ण अधिकार
	उपयोगित (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 5प्रतिशत से अधिक तथा 30प्रतिशत तक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण नियमानुसार पूर्ण लेवी एवं अन्य देयों के भुगतान सहित ।	15 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों का पूर्ण अधिकार
	औद्योगिक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों का हस्तान्तरण।	02 एकड से अधिक के प्रकरणों पर पालिसी सेल की संस्तुति पर पूर्ण अधिकार
4	अनुपयोगित एवं देयों के पूर्ण भुगतान किए गए औद्योगिक भूखण्डों का निरस्तीकरण ।	5 एकड से अधिक पूर्ण अधिकार
5	देयों का भुगतान न करने की दशा में औद्योगिक भूखण्डों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण।	02 एकड़ से अधिक पूर्ण अधिकार
6	आवंटी की मृत्यु के उपरान्त सभी प्रकृति के भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के प्रकरणों में आवंटी का नाम परिवर्तन	विवादित एवं द्वितीय/तृतीय पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में 05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में पूर्ण अधिकार।
7	सभी प्रकृति के भूखण्डों में आबंटी के पुर्नगठन/संविधान परिवर्तन को मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी।	05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर पूर्ण अधिकार
8	अनुपयोगित भूखण्डों के आबंटनों एवं देयों के भुगतान न करने पर भूखण्डों का निरस्तीकरण	15 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकृति के भूखण्डों में पूर्ण अधिकार
9	सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटन का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमो के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क की देयता पर)	5 एकड़ से 15 एकड़ तक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर पूर्ण अधिकार
10	सभी प्रकृति के भूखण्डों में प्रीमियम एवं ब्याज की देयताओं का रि-शिड्यूलमेंट	05 एकड़ क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में देयता रू0 50.00 लाख से अधिक तथा 5 एकड़ क्षेत्रफल से अधिक के भूखण्डों का पूर्ण अधिकार
11	सभी प्रकृति के भूखण्डों में किरायेदारी	15 एकड़ से अधिक पूर्ण अधिकार
12	सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जे तक ज्ञात आबंटित क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत (अधिकतम 500 वर्गमी0) से अधिक बृद्धि का नियमितीकरण	पालिसी सेल की संस्तुति पर पूर्ण अधिकार

Scanned with CamScanner

13	सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जा हस्तांतरण सम्भव न होने के कारण मूल भूखण्ड के समतुल्य अथवा 20प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड परिवर्तन	05 से 15 एकड़ क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर पूर्ण अधिकार

"सभी प्रकृति के आवंटनों" से तात्पर्य विभिन्न भू–उपयोगों यथा औद्योगिक, आवासीय, व्यवसायिक, ग्रुप आवासीय, संस्थागत तथा अवस्थापना सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूखण्डों के नियमानुसार किये गये आवंटनों से है। क्षेत्रीय प्रवन्धक/परियोजना अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करेंगे तथा उनके अधिकार क्षेत्र में ऑच्छादित न होने वाले अन्य प्रकरणों को मुख्यालय संदर्भित करेंगे जिससे कि उनपर निर्धारित अवधि में निर्णय लिया जा सके।

उपरोक्त प्रतिनिधायनित अधिकारों में आच्छादित एवं अनाच्छादित ऐसे प्रकरण जो कि उ0प्र0 शासन द्वारा लागू की गई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 में परिभाषित मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा परियोजनाओं से सम्बन्धित हों, के निरतारण के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित रहेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी अवशेष प्रकरणों के अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित रहेंगे।

सभी पत्रावलियॉ अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को निर्णयार्थ प्रस्तुत की जायेगी। औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग द्वारा क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों के स्तर पर निस्तारित प्रकरणों के अभिलेख यथाआवश्यक प्राप्त करते हुए अनुश्रवण किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं0 17-21/यूपीसीडा/IA/Delegation of Power दिनांक 01/04/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त प्रभारी, औ0क्षे0 अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रवन्धक/परियोजना अधिकारी, यूपीसीडा
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औ0 क्षे0 अनुभाग, मुख्यालय, यूपीसीडा, कानपुर।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के निर्देश के साथ।
7. गार्ड फाईल

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner

उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं. 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851–53(PBX)
वेबसाइट : www.upsidc.com
ई.मेल : md@upsidc.com

संदर्भ सं0 146-157/यूपीसीडा/ iA/ Delegation of Power दिनांक 13-4-2021

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के आबंटियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं/कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग के कार्यो के प्रतिनिधायन सम्बन्धी पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 17–21/यूपीसीडा/आई0ए0/Delegation of Power दिनॉक 01.04.2021 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है:–

प्राधिकरण के प्रचलित आपरेटिंग मैनुअल–2011 के प्रस्तर 6.07–V यथासंशोधित कार्यालय आदेश संख्या 209–11 दिनॉक 25.04.2013 के क्रम में आवंटी की मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता की स्थिति में नियमानुसार समस्त भूखण्डो के हस्तान्तरण की कार्रवाई हेतु निम्नानुसार अधिकार प्रतिनिधायित किये जाते है:–

क्र0	प्रतिनिधायित अधिकारी	प्रतिनिधायन/अधिकार
1.	क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी	02 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
2.	प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र	02 से 15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
3.	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15 एकड़ से अधिक तक पूर्ण अधिकार

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं0 146-157/यूपीसीडा/ iA/ Deligation of Power दिनांक 13-04-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त प्रभारी, औ0क्षे0 अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, यूपीसीडा
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औ0 क्षे0 अनुभाग, मुख्यालय, यूपीसीडा, कानपुर।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के निर्देश के साथ।
7. गार्ड फाईल

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास निगम लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
ए–1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं0 1050,
कानपुर–208 024
दूरभाष : 2582851–53
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाईट : www.upsidc.com
ई मेल :
feedback@upsidc.com

सन्दर्भ सं0 209–11 /एसआईडीसी/आईए/एचओ/ पालिसी 9 ... -16 दिनांक 25-4-13

–: कार्यालय आदेशः–

निगम के निदेशक मण्डल की 281वीं बैठक में आपरेटिंग मैन्युअल की धाराओ में निम्नवत संशोधन/अनुमोदित किया गया है जिनको निगम में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है :–

(अ) आपरेटिंग मैन्युअल की धारा 6.07(VIII) उ0प्र0 वित्तीय निगम /पिकप के द्वारा एस0एफ0सी0 एक्ट की धारा 29 के अन्तर्गत नीलामी के द्वारा बिक्रीत भूखण्डो के सम्बन्ध में ।

पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 3423-27/एसआईडीसी/आईए/पॉलिसी दिनांक 21.11.2002 द्वारा किये गये प्राविधान को लागू करते हुये उपरोक्त प्रकरणों मे, जिसमें सेल लेटर दिनांक 31.8.2002 के पूर्व निर्गत किये गये है, के नामान्तरण हेतु व्यवस्था की जाए।

(ब) आपरेटिंग मैन्युअल की धारा 6.07(V) हस्तान्तरण आवंटी की मृत्यु अथवा अपंगता के सम्बन्ध में ।

आपरेटिंग मैन्युअल की उक्त धारा में इस सीमा तक स्पष्टीकरण कर संशोधित किया जाता है कि आवंटी एकलस्वामी की मृत्यु / पूर्ण अपंगता की स्थिति में निगम द्वारा परिवार की परिभाषा के अन्तर्गत परिभाषित सदस्यों को हस्तान्तरण के मामलें में मृत्यु/पूर्ण अपंगता के दो वर्ष के उपरान्त भी बिना हस्तान्तरण लेवी के आधार पर हस्तान्तरण अनुमन्य होगा ।

(स) आपरेटिंग मैन्युअल की धारा 8.01 के समय विस्तारण शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में

- 10 वर्ष से अधिक के समय विस्तारण के प्रकरणों में संशोधन इस सीमा तक अनुमन्य किया गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में जैसे यूपीएफसी/पिकप के एस0एफ0सी0 एक्ट की धारा-29 के अन्तगत के प्रकरण, न्यायालय द्वारा विवादित भूखण्डों के प्रकरण या अत्यधिक गम्भीर बीमारी आदि के प्रकरण जिसमें आवंटी 10 वर्ष के बाद भी इकाई स्थापित नही कर सका है में निगम के प्रबन्ध निदेशक को समय विस्तारण किये जाने हेतु (आवंटन के 10 वर्ष के पश्चात के प्रकरणों में 15 प्रतिशत वार्षिक समय विस्तारण शुल्क के साथ) अधिकृत किया गया है तथा आबंटन के 10 वर्ष से अधिक पुराने हस्तांतरण प्रस्ताव प्राप्त

Scanned with CamScanner

होने पर नियमानुसार समय विस्तारण शुल्क लेते हुए निस्तारित कर दिया जाए परन्तु यह सुविधा अगले 6 माह तक ही लागू रहेगी तथा ऐसे प्रकरणों में अधिक से अधिक आवंटियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिये समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार/प्रसार किया जाए।

(द) आपरेटिंग मैन्युअल की चैप्टर-5 निरस्त भूखण्ड के आवंटन पुनर्जीवीकरण के सम्बन्ध में

आपरेटिग मैन्युअल के पेज 43 पर बिन्दु संख्या 2 में अंकित पूर्व आवंटी को भूखण्ड पर 2 वर्ष में इकाई स्थापना हेतु अपेक्षित शपथ-पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप एन्नेक्चर-6 के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित 01 वर्ष के स्थान पर 02 वर्ष में इकाई स्थापना हेतु समयबद्ध कार्यक्रम का शपथ लेने की नीति पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(य) आपरेटिंग मैन्युअल की धारा 8.01(b) के अन्तर्गत अंकित समय विस्तारण शुल्क के लिए निर्धारित प्रतिशत दर में कार्यालय आदेश के अनुसार संशोधन के सम्बन्ध में:-

निम्नानुसार प्रतिशत दर में संशोधन किया जाता है:–

4 to 5 years	5% of the original premium as TEF.
5 to 6 years	7.5% of the original premium as extension fee

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या एसआईडीसी–आईए–पालिसी वाल्यूम–16 दि0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव एवं समस्त अनुभागाध्यक्ष , उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, (औ0 क्षे0), मुख्यालय, कानपुर।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner